


फर्द अहकाम
नानगराम बनाम खरोज वगै.

यालय : सहायक कलेक्टर, बस्ती

आद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 117/2023

दिनांक आज़ा या कार्यवाही	आज़ा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>डिफ़ी पर्व जारी हो। निर्णय व डिफ़ी की पालना हेतु तहरीर जारी हों।</p> <p>पत्रावली कारने इंतजार विमर्श प्रस्ताव हेतु तथा कोर अदायगी हेतु दिनांक 22/07/24 को पेश हो।</p> <p align="center">  सहायक कलेक्टर बस्ती जिला - खगपुर प्रमोन्न 22/7/24 पत्रावली का मु: PO कायम होये। अन्य उक्त पत्रावली को कायम दिनांक 02/09/24 को पेश हो। m </p>	<p>तहरीर जारी P.D. 27/24 24/06/24</p>
02/09/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 व 6 लगा 8 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि इस वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि के संबंध में इस न्यायालय में वाद संख्या 143/2024 उनवान नानगराम बनाम प्रेमदेवी का विचाराधीन रह कर दिनांक 29/08/2024 को अंतिम निर्णय व डिफ़ी पारित छिये जा चुका है जिसमें विवादित भूमि एवं पक्षकार भी समान हैं एवं चाही गई शिलीफ भी समान है।</p>	

फर्द अहकाम

नानगराम बनाम अश्रीज देवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व माद/प्राधान पत्र/मुकदमा नम्बर : 117/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या चार्जवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रतिवादी आधिकारिक एवं वादी आधिकारिकता की सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा उनवाती प्रकरण नानगराम बनाम प्रेमदेवी मु.न. 143/24 दिनांक 29/8/24 की विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसमें विवादित भूमि एवं पक्षकार समान हैं एवं प्रकरण विभाजन का एक ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण की आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः वादी का वाद पौषणीय नहीं होने से अस्वीकार रद्दिया जाकर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">(समाप्त)</p>